समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532 तार : युनिव्हर्सिटी फेक्स : 0731–529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

विश्वविद्यालय भवन इन्दौर — 452 001

क्र. / डी.सी.डी.सी. / 2025 / Jo 🖇

दिनांक2...7...MA.Y...?025

//आवश्यक सूचना//

प्रति,

 समस्त विभागाध्यक्ष (यू.टी.डी.) दे.अ.वि.वि. खुण्डवा रोड इन्दौर

समस्त प्राचार्य/संचालक
वि.वि. से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
इन्दौर, धार, झाब्आ.

विषय:- Guideline on Public Salf-Disclosure by Higher Education Institution, 2024 के संबंध में

सन्दर्भ:— यूजीसी नई दिल्ली का पत्र F.No. 16-13/2024(SU)/Comp. No. 151193 दिनांक 7.03.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि आपको अपने संस्थान की वेब साईट को सर्व सम्बंधितों के अवलोकन हेतु सक्रिय एवं अद्यतन रखना है। कृपया यूजीसी के उक्त पत्र का अवलोकन करे एवं पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे, इस सबंध में यदि समय सीमा 31 मई 2025 के पूर्व आपके द्वारा निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो विश्वविद्यालय आपके विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

Aco कुलसचिव


पृष्ठांकन क्र./डी.सी.डी.सी./2025/10%% प्रतिलिपि :—

दिनांक 2...7...MA-Y 2025

- 1. डॉ. आशिमा मगलां, सयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 35 फिरोज राह रोड, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. कुलपति जी के सचिव देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3. कुलसचिव जी के निजी सहायक, देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग मोती तबेला इन्दौर की ओर हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर सूचनार्थ एवं वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निर्देशक महाविद्यालय विकास परिषद







विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

35, फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली-110001 35, Feroz Shah Road, New Delhi-110001

ई-मेल E-mail : amangla@ugc.gov.in

F.No 16-13/2024(SU)/Comp. No. 151193

February 2025 0 7 FEB 2025

Subject: Compliance on Public Self-Disclosure by Higher Education Institutions, 2024

Madam/Sir,

Kindly refer to the UGC letter dated 10th June 2024 (attached) regarding "Guidelines on Public Self-Disclosure by Higher Education Institutions -2024," which was circulated to the universities with the request to comply with the guidelines.

As per the Guidelines, all Higher Education Institutions are required to maintain a functional website to provide relevant information to stakeholders. The information disclosed on the website should be easily accessible to everyone, on the home page, without any need for registration or login. Additionally, there should be a 'search' facility available for easy navigation.

While checking and monitoring the websites of your university, it has been observed that the information is not as prescribed in the guidelines or is incomplete.

Despite of several reminders and ample time provided, it is once again informed to take necessary action to comply with the guidelines and ensure that complete information is displayed on the website of the university in a fair and transparent manner within 10 days. In case of non-compliance, UGC will be constrained to take appropriate action against the university and publish the names of noncomplying universities on the UGC website.

A format for displaying the information on the homepage of the university website as a single document is also attached.

Yours faithfully,

(Dr. Ashima Mangla)